न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1.	पीठासीन अधिकारी	: श्री अशोक कुमार शर्मा
2.	प्रकरण संख्या	: 124/2020
3.	उनवान	: सरकार जरिये राजेश कुमार टांक प्रवर्तन निरीक्षक बनाम श्री चन्द्रकांत सिंह पुत्र श्री मोम सिंह निवासी 198, महाराणा प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर।
4.	निर्णय दिनांक	: 15.07.2022
5.	अधिवक्तागणों का नाम	: अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से। ब) श्री अभिषेक कुमार अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि श्रीमती बीना चौधरी निवासी हथरोई अजमेर रोड द्वारा शिकायत करने पर अप्रार्थी के गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर स्थिति कैफे पर दिनांक 13.02.2020 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसी) मय एलपीजी 13.200 किग्रा. को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 11.02.2022 को अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया, जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जब्त सिलेण्डर को घर में घरेलू गैस के उपयोग हेतु डिलीवरी मैन द्वारा डिलीवरी देना बताया। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु वाणिज्यिक सिलेण्डर ही काम में लिया जाता है जिसका गैस कनेक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उन्हे ही अंतिम बहस हेतु स्वीकार करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा दोनो पक्षों की बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2020 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर जांच कार्यवाही कर कुल 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसी) मय एलपीजी 13.200 किग्रा. जो कि कैफे में चाय बनाने के काम में लिये जा रहे थे।

अतिरिक्त कलक्टर

चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके स्वामित्व, संधारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। यहां तक कि अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा ना तो घरेलू सिलेण्डरों के कनेक्शन की भी प्रति पेश की गई है ना ही वाणिज्यिक सिलेण्डर के गैस कनेक्शन की प्रति पेश की गई है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का घर से दूर व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डिलीवरी देने का कथन भी संदेहास्पद है क्योंकि प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी का निवास महाराणा प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर में होना अंकित है। ऐसे में गैस एजेन्सी द्वारा प्रतिष्ठान, जो कि गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर में स्थित है, पर घरेलू गैस सिलेण्डर की डीलीवरी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही सिलेण्डर रेगुलेटर से लगाकर उपयोग करना पाया गया था इसी कारण सिलेण्डर में गैस भी कम पाई गई। उक्त तथ्यों से घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में हम जब्त सिलेण्डरों को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान (मुताबिक फर्द) को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।